न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), भदोही–ज्ञानपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–107 सन् 2026

UPSN01001649-2026

जितेन्द्र कुमार चमार, उम्र लगभग 32 वर्ष, पुत्र श्री रामआसरे चमार, निवासी वार्ड नं० 3 गाँधी नगर घोसिया, थाना औराई, जनपद भदोही।

.....आवेदक।

बनाम

1. लालती देवी, उम्र लगभग 55 वर्ष, पत्नी स्व० हूबलाल
2. शेषमणि यादव, उम्र लगभग 28 वर्ष, पुत्र स्व० हूबलाल
3. विभा यादव, उम्र लगभग 25 वर्ष, पुत्री स्व० हूबलाल

निवासीगण ग्राम सबलेपुर, प्रगासपुर, थाना भदोही, जनपद भदोही।

.....अभियुक्तगण।

05.06.2026

1. पत्रावली पेश हुई। आवेदक जितेन्द्र कुमार चमार के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. पर सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया।

2. आवेदक जितेन्द्र कुमार चमार द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी. एन. एस.एस. में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी सत्या हाउसिंग प्रा०लि० बैंक शाखा गोपीगंज में उसके मित्र विपिन कुमार सिंह है, उन्हीं के पास उसका आना जाना होता है वहीं पर प्रार्थी बैठा था कि उसके जिले के विपक्षी लालती देवी, पत्नी स्व० डूबलाल, सबलेपुर, प्रगासपुर, थाना भदोही, जनपद भदोही पहुँची और वहां पर विपिन सिंह से बातचीत किया, और उससे कहा कि उसे मोटरसाईकिल से लिवाकर ज्ञानपुर छोड़ दो, इसके बाद वह उनको ज्ञानपुर छोड दिया। इसके बाद उसके मोबाईल पर फोन करके बातचीत करने लगी और दो–चार दिन बीत जाने के बाद उससे कहा कि उसका मकान गिर गया है, उसे कुछ पैसा चाहिए तो वह कहा कि उसके पास इस समय पैसा नहीं है, तो उन्होनें कहा कि कुछ दिन बाद कुछ पैसा दे देना, तो वह दिनांक 14.03.2024 को मु० 2,000 रुपया फिर उसी दिन दिनांक 14.03.2024 को मु० 13,000 रुपया व दिनांक 16.11.2024 को मु० 1,000 रुपया व दिनांक 01.06.2024 को मु० 15,00 रुपया व दिनांक 26.07.2024 को मु० 2,000 रुपया व दिनांक 15.08.2024 को मु0 5,000 रुपया व दिनांक 26.08.2024 को मु० 2,000 रुपया व दिनांक 10.09.2024 को मु० 5,000 रुपया व दिनांक 09.11.2024 को मु० 2,000 रुपया व दिनांक 29.01.2025 को मु० 15,000 रुपया व दिनांक 22.05.2025 को मु० 5,000 रुपया कुल मु० 53,500/–

रुपया वह लालती देवी की लड़की विभा यादव के मो०नं० 8853651370 पर भेजा। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब उसकी माँ की तबीयत खराब हुयी, तो वह उनके घर दिनांक 20.06.2025 को समय करीब 11:00 बजे दिन जाकर पैसा मांगा तो वहां पर मौजूद लालती देवी व उनकी लड़की विभा यादव व उनके लड़के शेषमणि यादव मिले और कहे कि क्यों मेरे घर आये हो तो वह बताया कि विभा यादव के मोबाईल पर जो मु० 53,500/–रुपया भेजा है उसी को मांगने आया हूँ। इतने में लालती देवी, शेषमनि यादव, विभा यादव ने उसे माँ, बहन की भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता देने लगे तथा कहे कि चमार सियार की जाति, साले यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से मारकर खत्म कर देगें, तुम पैसा देने वाले बने हो। तब वह घर चला आया, इसके बाद दो–तीन दिन बाद पुनः अपना पैसा मांगने गया, तो उपरोक्त तीनों विपक्षीगण धक्का देकर ढकेल दिये और अपने घर से धमकी देते हुए भगा दिये और विपक्षीगण उसके साथ धोखाधड़ी करके जबरजस्ती उसका पैसा हड़पना चाहते है और कहे कि यदि दुबारा साले चमार सियार की जाति मेरे पास आओगे तो तुम्हें जान से मरवा देगें। उपरोक्त विपश्रीगण तीनों लोग दिनांक 28.01.2020 को समय करीब 04:00 बजे उसके घर घोसिया गये तथा उसका पता लगा रहे है कि कहां पर है, उसे आंशका है कि उसके साथ कोई अप्रिय घटना कारित कर सकते है और विपक्षीगण धमकी दे रहे है तथा कह रहे है कि यदि तुम आठ लाख रुपया नहीं दोगें तथा मुझसे पैसा मागोगें तो तुम्हारे खिलाफ झूठा बलात्कार व अन्य संगीन मुकदमें कराकर तुम्हार जीवन बर्वाद कर देगें। विपक्षीगण के खिलाफ यदि उचित कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है तो प्रार्थी के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना कारित कर व करा सकते है, जिसके बावत प्रार्थी ने थाना भदोही में सूचना दिया, थाना पुलिस भदोही द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो प्रार्थी उक्त घटना की सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, भदोही को जरिये रजिस्टर्ड डॉक से दिनांक 30.01.2026 को दिया,किन्तु फिर भी आज तक कोई कार्यवाही नही हुयी। अभियुक्तगण का कृत्य काफी गम्भीर प्रकृति का है। ऐसी सूरत में मुकदमा दर्ज कराकर इसकी विवेचना कराया जाना न्यायहित में जरूरी है। अंत में याचना की गयी कि थानाध्यक्ष, भदोही को आदेशित किया जावे कि वे सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करें, ताकि न्याय हो।

3. प्रार्थी की ओर से सूची के माध्यम से अभिलेखीय साक्ष्य में पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थनापत्र की फोटो प्रति, रजिस्ट्री रसीद, एक अदद गुगल रीसद की छाया प्रति ग्यारह पीस, एक अदद आधार कार्ड की फोटो प्रति, एक अदद जाति प्रमाण–पत्र दाखिल की गयी है।

4. प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना भदोही, जिला भदोही द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार आवेदक के प्रार्थनापत्र की जांच की गयी तो ज्ञात हआ कि आवेदक जितेन्द्र कुमार उपरोक्त का सम्बन्ध लालती देवी की लड़की विभा यादव से बात चीत व आशवाई का मामला पाया गया। चमार सियार कहने और धमकी देने की बात गलत पायी गयी। आवेदक के प्रार्थनापत्र पर थाना हाजा में कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

5. समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित सभी तथ्य प्रार्थी के स्वयं के संज्ञान में है, जिन्हें वह अपने साक्ष्य के माध्यम से स्वतः सिद्ध करने में सक्षम है। अतः प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्था प्रियंका श्रीवास्तव प्रति उ0प्र0 राज्य, ए.आई.आर. 2015 सुप्रीम कोर्ट 1758 एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्था रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य, 2001(43) ए.सी.सी. 201 तथा निर्णयज विधि सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य, 2007(59) ए.सी.सी.739 में प्रदत्त विधि के प्रकाश में प्रकरण में किसी विशिष्ट संस्था के माध्यम से जॉच कराये जाने का समुचित आधार नहीं है, वरन् प्रस्तुत प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत कर तदनुसार कार्यवाही संचालित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी जितेन्द्र कुमार चमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 परिवाद के रूप में पंजीकृत हो। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 19.06.2026 को पेश हो।

(डॉ0 अवनीश कुमार–।।)
विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी०एक्ट)
भदोही ज्ञानपुर।
JO Code–UP1523

दिनांक 05.06.2026

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.06.06 13:38:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court